

पत्रांक:- भवन/सू०अ०-14/2016..... 1284 (S) 8/18

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सूर्यकान्त मणि,
सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
अपर सचिव,
संयुक्त सचिव,
सभी उप सचिव,
सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:- 9.2.18

विषय:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिए गए निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-733 दिनांक-15.01.2018 द्वारा प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/2/18
(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

8/2/18

सं० २५०-२

पत्रांक-21/सू.अ.-25/2017, सा.प्र. 733 ✓


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

- ✓ सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।



पटना-15, दिनांक-15-1-18

राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-9026 दिनांक-04.01.2018

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के स्तर से गाद संख्या-ए1048/17 में दिनांक-12.12.2017 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार किटना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1) में नागरिकों तक सूचनाओं की सुलभता, सहजता एवं सुगमता से सुनिश्चित करने के लिए सभी लोक प्राधिकारों को अपने अभिलेखों का सूचीकरण करते हुए उनका कम्प्यूटरीकरण कराना है तथा इण्टरनेट आदि के माध्यम से उसे सबके लिए सुलभ बनाना है तथा उक्त अधिनियम की धारा-4(1)(ख) में अंकित सत्रह बिन्दुओं पर हस्तक तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करनी है।

इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्रांक-1/18/2007-आई.आर. दिनांक-21.09.2007, पत्रांक-10/20/2006-आई.आर. दिनांक-21.09.2007 एवं राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-1242 दिनांक-21.09.2007 तथा पत्रांक-1547 दिनांक-17.12.2007 के आलोक में विभागीय पत्रांक-12714 दिनांक-28.12.2007 द्वारा अधिनियम की उक्त धारा-4(1) एवं 4(2) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी कर आयोग को भी अवगत कराने का अनुरोध राज्य सरकार के सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों से किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-4 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है तथा सभी लोक प्राधिकारों को वर्ष-2012 से लगातार निदेशित किया गया है। इसके बावजूद अनुपालन प्रतिवेदन इस विभाग में सम्प्रति अप्राप्त है। यह स्थिति खेदजनक है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय एवं धारा-4(1)(ख) में अंकित सत्रह बिन्दुओं पर पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर हस्तक तैयार कर उसकी एक प्रति इस विभाग को भी कृपया निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय। अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारों से भी इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु.- यथोक्त।

प्र. 4 दा 6
3
मार्च
29/01/18

6900
19000
20000

विश्वासभाजन
15/1/18
(भीम प्रसाद)



a3

राज्य सूचना आयोग

चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

दूरभाष-2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फ़ैक्स-2235466

297

वाद सं०-A1048/2017

श्री मनोज कुमार मिश्र

बनाम्

प्रथम अपीलीय प्राधिकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

12.12.17

" आवेदक उपस्थित हैं।

2. श्री शिव महादेव प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना सुनवाई के समय उपस्थित हुए।
3. आवेदक का कहना है कि अभी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप 17 बिन्दुओं पर हस्तक तैयार कर उसके संधारण एवं प्रकाशन के संबंध में कार्रवाई की जानी है, परन्तु यह कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने पंचायती राज विभाग से यह भी जानना चाहा था कि वे यह बतावें कि उनके विभाग के कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हुआ है या नहीं। अभी तक पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सारी सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी हैं। पंचायती राज विभाग के अधिकारी ने यह बताया था कि अभी तक जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसकी सुनवाई के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को भी उपस्थित होने को कहा गया था क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग ही प्रशासी विभाग है। आज सुनवाई के समय सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अवर सचिव उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि यह सही बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग की इसमें भूमिका है और जिम्मेवारी भी बनती है। उनके विभाग के द्वारा भी अधिनियम की धारा '4' के अनुपालन हेतु समय-समय पर निदेश जारी किये गये हैं, परन्तु अभी तक इसका अक्षरशः अथवा सारवान अनुपालन नहीं हो पाया है। लोक सूचना पदाधिकारी को कहा गया कि वे अपने विभाग के प्रधान सचिव का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए अनुरोध करें कि वे सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं सभी विभागध्यक्षों को पत्र निर्गत करके अधिनियम की धारा '4' के अधीन जारी किये जाने वाले हस्तक को तैयार करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाते हुए उसका अनुपालन करने का आदेश दें। यह भी बताया जाए कि आयोग ने सुनवाई के समय ऐसा निदेश दिया है। वाद की सुनवाई की अगली तिथि 17.01.2018 को अप० 02.30 बजे निर्धारित की जाती है। उस तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारीगण बतायेंगे कि कितने जिलों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।
4. राज्य मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर वीडियो कॉन्फ़ेन्सिंग का आयोजन किया जाता है जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी भाग लेते हैं उस कॉन्फ़ेन्सिंग के दौरान जिला के सभी अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए।"

40-21
60-2131.12
31.12
31.12
31.12

ह०/-

(वी० के० वर्मा)

राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक : 4026 / रा०सू०आ०

पटना, दिनांक- 4.12.2017

प्रतिलिपि:- श्री शिव महादेव प्रसाद, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना/श्री मनोज कुमार मिश्र, पिता-स्व० सुरेन्द्र मोहन मिश्र, ग्राम-गोर्ग-गोर्ग जिला-खगड़िया को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रशाखा पदाधिकारी

31.12.18